प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनांक – 11.11.2026

डीजे की आवाज को लेकर आपसी प्रतिस्पर्धा में अत्यधिक तेज आवाज में डीजे बजाकर शांति व्यवस्था प्रभावित करने वाले 01 व्यक्ति को थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस ने किया गिरफ्तार, डीजे लगी बोलेरो गाड़ी सीज

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा त्योहारों के दौरान किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को रोकने के दृष्टिगत पुलिस द्वारा निरंतर सतर्कता बरतते हुए प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।

इसी क्रम में दिनांक 11.11.2026 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस टीम द्वारा मां लक्ष्मी प्रतिमा विसर्जन के दृष्टिगत क्षेत्र में भ्रमण एवं सुरक्षा व्यवस्था ड्यूटी की जा रही थी। इसी दौरान स्थानीय लोगों से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम कैसैला से पहले बजरंगनगर में नियाज अहमद नामक व्यक्ति अपनी बोलेरो महेन्द्रा गाड़ी पर डीजे लगाकर अन्य डीजे से अधिक तेज आवाज में बजाने की प्रतिस्पर्धा कर रहा है। स्थानीय लोगों द्वारा तेज आवाज में डीजे बजाने से मना करने पर वह उनसे विवाद करने लगा, जिससे क्षेत्र में तनाव एवं शांति व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका उत्पन्न हो गई।

सूचना पर उ0नि0 जावेद खान मय हमराह पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचे, जहां पाया गया कि बोलेरो महेन्द्रा वाहन पर अत्यधिक तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा था तथा डीजे संचालक स्थानीय लोगों से विवाद कर रहा था। पुलिस टीम द्वारा उसे समझाने-बुझाने तथा डीजे की आवाज कम करने का प्रयास किया गया, किन्तु उसके द्वारा पुलिस के निर्देशों का पालन नहीं किया गया। स्थिति की गंभीरता एवं संभावित अप्रिय घटना को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस टीम द्वारा नियाज अहमद पुत्र कासिम अली निवासी बजरंगनगर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अंतर्गत गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए चालानी रिपोर्ट माननीय उपजिलाधिकारी महोदय, खलीलाबाद के न्यायालय प्रेषित की गई।

इसके अतिरिक्त वाहन के आवश्यक कागजात प्रस्तुत न किए जाने के कारण डीजे लगे बोलेरो महेन्द्रा वाहन संख्या UP83L3419 को धारा 207 मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत सीज किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-
नियाज अहमद पुत्र कासिम अली निवासी बजरंगनगर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी/वाहन:-
01 अदद डीजे लगा बोलेरो महेन्द्रा वाहन (धारा 207 एमवी एक्ट के अंतर्गत सीज)।

गिरफ्तार टीम: उ0नि0 श्री जावेद खान, का0 मोहित वर्मा, का0 आकाश कुमार यादव।

संतकबीरनगर पुलिस आमजन से अपील करती है कि धार्मिक एवं सार्वजनिक आयोजनों के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों का निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रयोग करें तथा आपसी प्रतिस्पर्धा में अत्यधिक तेज आवाज में डीजे बजाकर आमजन को असुविधा न पहुंचाएं। शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 28 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 10 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना महुली पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 09 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 08 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 590 वाहनों से 710,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 11.11.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 590 वाहनों से 710,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

संतकबीरनगर पुलिस की प्रभावी कार्यवाही से भयभीत होकर हत्या के अभियोग में वांछित 01 नफर अभियुक्ता द्वारा किया गया आत्मसमर्पण
ब्रम्हानन्द यादव हत्या प्रकरण में पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नामजद व प्रकाश में आये कुल 09 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्दर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 890/2026 धारा 103(1)/3(5)/190/191(2)/191(3)/61(2) बी.एन.एस में वाँछित अभियुक्ता निशा पत्नी दुर्गेश यादव निवासी भगठान गोसाईपुर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के पुलिस द्वारा लगातार की जा रही कार्यवाही एवं स्वयं के पकड़े जाने के डर से न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने पर मा0 न्यायालय सी0जे0एम संतकबीरनगर द्वारा अभियुक्ता उपरोक्त को न्यायिक अभिरक्षा हेतु जिलाकारागार संतकबीरनगर प्रेषित किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण:- दिनांक 22.09.2026 को वादी रमाकान्त यादव पुत्र दयाराम यादव निवासी भकठान गोसाईपुर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर ने थाना कोतवाली खलीलाबाद पर प्रार्थना पत्र दिया कि मेरे भाई ब्रह्मनन्द यादव दिनाँक 22.09.2026 को घर से गिढीनी बाजार जा रहे थे। जैसे ही राकेश यादव के घर के सामने पहुंचे, अभियुक्तगण 01. अभिमन्यु यादव 02. अजय यादव 03. रामस्वरूप यादव 04. संजय यादव उपरोक्त ने पहले से सुनियोजित तरीके से मेरे भाई की बुलेट गाड़ी को रोककर पीसा हुआ लाल मिर्च मेरे भाई ब्रह्मनन्द की आँखों में डाल दिया, जिससे मेरे भाई गिर गये। फिर अभियुक्तगण उपरोक्त ने उन्हे लाडी डण्डा एवं धारदार हथियार से बेरहमी से मारा। मेरे भाई के चिल्लाने पर हम मौके पर पहुँच कर देखे तो मेरे भाई को काफी चोटें लगी थीं। मौके पर मौजूद लोगों द्वारा काल करके मेरे भाई को 112 नम्बर की गाड़ी से जिला अस्पताल पहुँचाया गया। जहाँ पर डाक्टर द्वारा मेरे भाई को मृत घोषित कर दिया गया। प्रकरण के सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 890/2026 धारा 103(1), 3(5) बीएनएस अभियोग पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही का विवरण- दिनांक 22.09.2026 को प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर 04 नामजद अभियुक्तों राकेश यादव पुत्र बलिराम यादव, अजय यादव पुत्र करिया यादव, अभिमन्यु पुत्र मान सिंह यादव व छविराम पुत्र रामललित यादव निवासीगण भगठान थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध मु0अ0सं0 890/2026 धारा 103(1)/3(5) बी.एन.एस पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम अभी तक प्रकाश में आये कुल 09 अभियुक्तों 1.राकेश यादव पुत्र बलिराम यादव 2.अजय पुत्र करिया 3.अभिमंयु पुत्र मान सिह यादव 4.रामस्वरूप यादव पुत्र जनार्दन यादव, 5.संजय यादव पुत्र सुरेन्द्र यादव 6.सुरेन्द्र यादव 7.योगेन्द्र यादव उर्फ योगी 8.रामललित यादव पुत्र स्व0 नन्दू यादव 9.बृजेश यादव पुत्र सुरेन्द्र यादव निवासीगण भगठान गोसाईपुर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

कार्यवाही के क्रम में प्रकरण में वाँछित अभियुक्ता निशा पत्नी दुर्गेश यादव निवासी भगठान गोसाईपुर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर की गिरफ्तारी के सतत प्रयास किए जा रहे थे। इसी डर के कारण अभियुक्ता द्वारा दिनांक 11.11.2026 को मा0 न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने पर मा0 न्यायालय सी0जे0एम संतकबीरनगर द्वारा अभियुक्ता उपरोक्त को न्यायिक अभिरक्षा हेतु जिलाकारागार संतकबीरनगर प्रेषित किया गया है। प्रकरण मे प्रकाश में आये अन्य शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु गठित टीमों द्वारा लगातार दबिश दी जी रही है।